

फर्द अहकाम

बनाम

5

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	28-2-17	<p>आज दिनांक 11/11/16 को पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी, अवकाश/अन्य राजकार्य पर/पत्रावली दिनांक 30/12/16 को पत्रावली पेश हुई। अतिरिक्त दिनांक 30/12/16 को पत्रावली पेश हुई। अभिभाजक को पत्रावली पेश करने के लिए आने के लिए प्रार्थी को निर्देश नहीं की जा रही है। पत्रावली में कार्य में देरी को पत्रावली दिनांक 28/2/17 को पेश है।</p> <p>पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी वकील को न्यायालय समय तक बार-बार आवाज लगाई गई। किन्तु न तो प्रार्थी और न ही प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित हुए। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र संख्या 93/2012 बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 212 राज. काश्त. अधिनियम 1955, उनवान आशादेवी बनाम हरिसिंह पुढिर मूलवाद के अनुसरण में सिविल प्रक्रिया संहिता के आदेश 9 नियम 3 के तहत खारिज किया जाता है। पत्रावली निर्णय में शामिल होकर कार्यालय में प्रविष्टि है। निर्णय आज दिनांक 28-2-17 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> <p style="text-align: center;">[Signature]</p> <p>सहायक कलेक्टर एम कार्यमालक मजिस्ट्रेट जयपुर शान (प्रथम)</p>	

